SECC-2011
MOST URGENT
E-mail

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–14)

क्रमांक एफ. 2(1)ग्रा.वि.वि / 14 / SECC / 2011 दिनांक 18 .10.2011

जिला कलक्टर एवं
SECC-2011 अधिकारी,
(समस्त) राजस्थान।

विषयः–सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 :–संक्षिप्त मकान सूची प्रगणकों को उपलब्ध करवाने, पर्यवेक्षक सर्किल के नक्शे में परिवर्तन न करने व स्पेशल चार्ज / डिफेन्स स्पेशल चार्ज के संबंध में।

सन्दर्भः–जनगणना कार्य निदेशालय का पत्रांक 77 / जन / जन(तक) / 10 / 836–837 दिनांक 11.10.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयानतर्गत लेख है कि सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के सन्दर्भ में जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निम्नाकिंत सुझाव दिये गये है:-

1. जनगणना निदेशालय द्वारा SECC-2011 के कार्य हेतु उपलब्ध करवायी गई संक्षिप्त मकान सूची (AHL) का उपयोग बेल (BEL) द्वारा चार्ज स्तर पर डाटा एन्ट्री के लिये किया जाना है। डाटा एन्ट्री का कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् ही संक्षिप्त मकान सूंची का वितरण फील्ड कार्य के लिये चार्ज अधिकारियों द्वारा प्रगणकों को किया जायेगा।
2. जनगणना निदेशालय द्वारा SECC–2011 फील्ड कार्य हेतु पर्यवेक्षक सर्किल के नक्शे चार्ज अधिकारियों को प्रेषित किये जा रहे है। निदेशालय द्वारा सुझाव दिया गया है कि फील्ड कार्य के लिए जनगणना–2011 के पर्यवेक्षक सर्किल में यथासंभव किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुये आवंटित किया जाना उचित एवं सुविधा जनक होगा।
3. सिविल स्पेशल चार्ज में सामान्य ब्लॉक के अनुसार ही कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
4. डिफेन्स स्पेशल चार्ज के संबंध में भारत सरकार से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुये है प्राप्त होने के पश्चात् आपको अवगत करवा दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

17/10/11

शासन सचिव,
ग्रामीण विकास